



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

कमरा नं. 23, विद्युत भवन, जनपथ ज्योति नगर जयपुर 302005

वेबसाइट www.jaipurdiscom.com, ई मेल: caoatr@jvvn.in टेलिफैक्स : 0141-2740253

क्रमांक / ज.वि.वि.नि. / निदे. (वित्त) / मु.ले. (रा.एव बि.) / पत्रा. / प्रे. 1027 दिनांक 08 सितम्बर 17

आदेश

हालिया निर्धारित राजस्व प्राप्ति पुस्तिका ए-9, बिजली चोरी निरोधक थानों (ए.पी.टी.पी.एस.) के प्रभारियों को जारी की जा रही है। इन ए-9 प्राप्ति रसीदों का इन्द्राज/लेखन सम्बन्धित बिजली चोरी निरोधक थानों के प्रभारियों द्वारा छिद्रित रोकड़ बहियों (पी.सी.बी.) में किया जा रहा है।

दिनांक 8 सितम्बर 2017 को सतर्कता शाखा की माननीय प्रबन्ध निदेशक महोदय के स्तर पर आहूत समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न चोरी निरोधक दस्तों के अधिकारियों ने अवगत करवाया कि वर्तमान में केवल बिजली चोरी निरोधक थाना प्रभारी को ही ए-9 प्राप्ति पुस्तिका जारी की हुई है एवं उपरोक्त चोरी निरोधक सतर्कता दस्तों (ए.टी.वी.एस.) द्वारा अपनी कार्यवाही के दौरान उपरोक्त ए-9 पुस्तिका के अभाव में स्थल पर राशि जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं/व्यक्तियों को अधिकृत प्राप्ति रसीद नहीं दिये जाने की स्थिति में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में, बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि, सम्बन्धित ए.पी.टी.पी.एस. कार्यालय आवश्यकतानुसार ए-9 प्राप्ति पुस्तिका सम्बन्धित वृत्त भण्डार से जारी करवाकर, इस आदेश के साथ संलग्न प्रत्येक ए.टी.वी.एस. अधिकारी को भी एक अलग से ए-9 प्राप्ति पुस्तिका जारी कर दी जाये। सम्बन्धित ए.पी.टी.पी.एस. कार्यालय द्वारा इन जारी करवाई गई, इन ए-9 प्राप्ति पुस्तिकाओं का उचित एवं अद्यतन रिकार्ड निर्धारित रजिस्टर ए-26 में संधारित किया जाये। इन जारी प्राप्ति रसीदों का इन्द्राज एवं लेखन, सम्बन्धित चोरी निरोधक थाने में संधारित पी.सी.बी. में किया जाना सुनिश्चित करें।

अतएव, तदनुसार संलग्न सूचीनुसार सभी सम्बन्धित ए.टी.वी.एस. अधिकारियों को भी ए-9 प्राप्ति पुस्तिका जारी करने एवं इसका इन्द्राज एवं लेखन सम्बन्धित बिजली चोरी निरोधक थाने (ए.पी.टी.पी.एस) में संधारित पी.सी.बी. में करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

उपरोक्त निर्देश तुरन्त प्रभाव से अमल में लाये जाने हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

आज्ञा से,

(ए.के.जोशी)

मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व एवं बिलिंग)

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

9. निदेशक (वित्त/तकनीकी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
10. संभागीय मुख्य अभियन्ता (..... संभाग) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि..... ।
11. मुख्य लेखाधिकारी(.....) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि..... ।
12. अधीक्षण अभियन्ता(.....) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि..... ।
13. अधीक्षण अभियन्ता (सतर्कता) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि..... ।
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
15. तकनीकी सहायक-प्रथम, माननीय प्रबन्ध निदेशक जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
16. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (..... वृत्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि..... ।



मुख्य लेखाधिकारी(राजस्व एवं बिलिंग)

**List of ATVS officers, for which the books of A-9 are
required for depositing the amount at the spot
against pending VCRs from July.2016**

S.No.	Name of ATVSs
1	XEN(ATVS-I), JPDC, Jaipur
2	AEN(ATVS-V), Alwar
3	AEN (ATVS-III), Alwar
4	AEN (ATVS-III), JPDC, Jaipur
5	AEN (ATVS-II), Dausa
6	AEN (ATVS-II), Karauli
7	AEN (ATVS-II), Tonk
8	AEN (ATVS-II), Bharatpur
9	AEN (ATVS-I),Dholpur
10	AEN (ATVS-II), S.Madhopur
11	AEN (ATVS-II), Kota
12	AEN (ATVS-III), Kota
13	AEN (ATVS-II), Bundi
14	AEN (ATVS-I),Jhalawar
15	AEN (ATVS-III), Baran
16	AEN (ATVS-II), Baran

KL